

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू


(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :- 39/2014

रामदेवाराम बनाम प्रभाती लाल वगै०


वादी की ओर से अधिवक्ता महिपाल सिंह कपूरिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 21/11/14 को हवाई सिंह यादव सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देरवाला पटवार हल्का देरवाला तहसील व जिला झुन्झुनू के भूमि खसरा नं. 90, 119, 120 किता 3 का कुल रकबा 2.41 है० कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/11/14 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी		
	रूपया	रूपया	
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	2
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	6	योग	3


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू